FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

साधूराम वगै0 बनाम भगवाना वगै0

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 121 / 2025

...ख ...।	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
...8-2025	प्रार्थीगण की ओर से श्री कमल किशोर वर्मा, एड0 ने स्वय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेशकर रखा है। प्रकरण में कैवियट पेशकर्त्ता अधिवक्ता व समस्त अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकले साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। वास्ते देखने तामील अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
...5.09.2025	दिनांक 20.08.2025 को इकजाई तारीख पेशी दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। जिसके कारण उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकुलाय उभय [illegible] के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्था[illegible] कर खारिज किये जाने की [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested